

गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

पन्तनगर फार्म पोस्ट-पन्तनगर

जिला-रुधम सिंह नगर, पिन-263145

निविदा-प्रपत्र

निविदा सं०: : निविदा शुल्क ₹ 2000.00 प्रति निविदा+18% जी०एस०टी० अतिरिक्त
 निविदा प्रपत्र फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय : दिनांक 25.03.2026 से 08.04.2026 सांय 3.30 बजे तक
 निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक 09.04.2026 अपरान्ह 1.00 बजे तक, फार्म निदेशालय पन्तनगर
 निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक 09.04.2026 अपरान्ह 3.00 बजे फार्म निदेशालय पन्तनगर

विश्वविद्यालय फार्म के मटकोटा प्रक्षेत्र पर उपलब्ध आम, अमरुद एवं लीची के बागों की फलत की बिक्री एवं खाली क्षेत्रफल पर कृषि कार्य करने के लिए दो वर्ष की अवधि (माह अप्रैल 2026 से मार्च 2028 तक) लाइसेंस शुल्क पर देने हेतु दरें प्रतिवर्ष दर्शानी होगी।

क्र० सं०	लॉट सं०	बाग संख्या	पेंडो की संख्या	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	दर (₹/प्रति बाग) प्रति वर्ष	
					अंको में	शब्दों में
1.	1	26वी आम/अमरुद बाग	213 आम/32 अमरुद	3.30		
2.	2	ट्रैक्टर साइड/मार्केट के पीछे पश्चिमी क्षेत्र मटकोटा	86 लीची	—		
3.	3	अमरुद बाग मटकोटा	130 अमरुद	3.20		

मैंने निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्तें मुझे मान्य हैं। धरोहर धनराशि ₹
 बैंक ड्राफ्ट दिनांक गो०ब०प०कृ० एवं प्रौ० विश्वविद्यालय फार्म, पन्तनगर के नाम देय संलग्न कर दिया है।

संलग्नक: परिशिष्ट I

बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर सं०

दिनांक

धनराशि ₹.....

निविदादाता के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पिता/पति का नाम

ग्राम व पो०

तह०जनपद

पिन.....दूरभाष

पैन नं०आधार नं०

23/3/26
 निविदा जारी करने वाले
 अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

निविदादाता के हस्ताक्षर

गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
पन्तनगर फार्म पोस्ट-पन्तनगर
जिला-ऊधम सिंह नगर, पिन-263145

निविदा-शर्तें

विश्वविद्यालय फार्म के मटकोटा प्रक्षेत्र पर उपलब्ध आम, अमरुद एवं लीची के बागों के फलत की बिक्री तथा खाली क्षेत्रफल पर कृषि कार्य किये जाने हेतु वाह्य ठेकेदार/एजेन्सी को लाइसेंस शुल्क के आधार पर माह अप्रैल 2026 से मार्च 2028 तक (दो वर्ष) के लिए दिए जाने हेतु निविदा/अनुबन्ध की शर्तें :-

- (अ) निविदा के अनुरूप सफल निविदादाता अनुबन्ध के अनुसार द्वितीय पक्ष होंगे तथा नियंत्रक गो0ब0पन्त एवं कृषि प्रौ0 विश्वविद्यालय पन्तनगर प्रथम पक्ष होंगे।
- (ब) निर्धारित निविदा प्रपत्र फार्म मुख्यालय, पो0 पन्तनगर, जिला-ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) से ₹ 2000.00 (₹ दो हजार मात्र) +18% जी0एस0टी0 अतिरिक्त की जमा रसीद/बैंक ड्राफ्ट पर दिनांक 25.03.2026 से दिनांक 08.04.2026 तक अपरान्ह 3.30 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है डाक द्वारा निविदा प्रपत्र किसी भी दशा में भेजना संभव नहीं होगा।
- यह है कि निविदादाता द्वारा एक से अधिक निविदा एक ही लॉट के लिए स्वीकार नहीं की जायेगी।
- यह है कि किसी भी परिस्थिति में कोई सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
- (अ) यह है कि निविदादाता द्वारा निविदा को लिफाफों में बन्द करके जो मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर को सम्बोधित करना होगा। निविदाओं को फार्म मुख्यालय में रक्षित पेटी में दिनांक 09.04.2026 अपरान्ह 1.00 बजे तक स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा डाक/स्पीड पोस्ट से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नियत तिथि एवं समय के बाद अथवा डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी। उपरोक्तानुसार प्राप्त निविदायें दिनांक 09.04.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेंगी। एक निविदा के साथ एक द्वितीय पक्ष अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि ही उपस्थित हो सकते हैं तथा निविदा डालने का प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही उनको प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। निविदाओं के खोले जाने के समय वि0वि0 फार्म मुख्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का अस्त्र/शस्त्र ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा एवं निविदादाता को अपने मोबाइल बन्द रखने होंगे।
- (ब) यह है कि निविदादाता को निविदा के साथ पैन नं0 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति भी संलग्न करना आवश्यक होगा।
- यह है कि विश्वविद्यालय फार्म के मटकोटा प्रक्षेत्र पर उपलब्ध बागों के फलत की बिक्री हेतु निविदा की दरें प्रक्षेत्र की लॉटवार अलग-अलग देनी होगी। भूमि के जो लॉट बनाये गये हैं उसी के अनुसार प्रत्येक लॉट के लिए प्रति बाग दर दर्शानी होगी। निविदादाता को निविदा पत्र एवं उसके साथ संलग्न नियम व शर्तों पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। प्रत्येक लॉट के लिए निविदादाता द्वारा प्रस्तुत उच्चतम दर पर निर्णय लॉटवार होगा। निविदादाता को दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से निविदा प्रपत्र में धनराशि अंकित करनी होगी।
- यह है कि निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ उपरोक्त अवधि की कुल धनराशि का 5 प्रतिशत धनराशि की दर से धरोहर धनराशि (वापसी योग्य) बैंक ड्राफ्ट अथवा एफ0डी0आर0 (गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फार्म, पन्तनगर के नाम देय हो) के माध्यम से संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में धरोहर राशि 01 माह में वापस कर दी जायेगी। सफल निविदादाता द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि का समायोजन बाग शुल्क के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। धरोहर राशि लाइसेंस शुल्क की अवधि समाप्त होने के बाद बाग खाली कर पूर्व स्थिति में कब्जा देने तथा अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त वापस कर दी जायेगी। धरोहर राशि पर विश्वविद्यालय फार्म द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- यह है कि किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें स्वीकृत/अस्वीकृत/अंशतः स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा।
- यह है कि विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों को निविदा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।
- यह है कि निविदादाता द्वारा ठेका लेने से पूर्व बागों का भली-भांति निरीक्षण कर लें। बागों की बिक्री के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
- यह है कि शुल्क पर दी जाने वाले बागों का पूर्ण विवरण जैसे लॉट संख्या, खण्ड का नाम, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न रहेगा।
- यह है कि बागों के लाइसेंस शुल्क पर माह अप्रैल 2026 से मार्च 2028 तक की अवधि अथवा बागों के फलत हेतु उपलब्ध कराये जाने की तिथि जो पहले हो, की अवधि के लिए दी जायेगी।

निविदा जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक: 2026

हस्ताक्षर निविदादाता
दिनांक: 2026

12. यह है कि निविदादाता द्वारा ली गई बाग से सम्बन्धित सिंचाई विभाग द्वारा अगर आवपाशी (Irrigation Charges) मांगी जाती है तो वह निविदादाता द्वारा विश्वविद्यालय को अलग से देय होगी। अर्थात् उक्त धनराशि ठेके की धनराशि के अतिरिक्त होगी। फार्म पर उपलब्ध सिंचाई के साधनों का प्रयोग मुख्य महाप्रबन्धक फार्म की पूर्व अनुमति एवं निर्धारित शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत दरों पर होगा अलग से जमा करने पर ही उसका उपयोग किया जा सकेगा। सिंचाई की सुविधा देना तभी सम्भव होगा जब विश्वविद्यालय को अपने बागों में सिंचाई के साधन की आवश्यकता न हो परन्तु विश्वविद्यालय सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं होगा। निविदादाता द्वारा अपने स्तर पर भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई हेतु किये जाने की दशा में कुल लाइसेंस शुल्क का 0.5 प्रतिशत भुगतान लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त द्वितीय किस्त के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।
13. यह है कि निविदा स्वीकृत होने के बाद सफल निविदादाता को अनुबन्ध निष्पादित करने से पूर्व स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र तथा अपने मूल निवास के पुलिस स्टेशन/जिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्वयं का चरित्र प्रमाण-पत्र (जो कि छह माह से अधिक पुराना नहीं हो) जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त मूल निवास प्रमाण-पत्र, लाइसेंस पर दी गयी बागों पर कार्यरत लाइसेंसी के अधीनस्थ कर्मियों/श्रमिकों का चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र जमा करना होगा एवं अपने सभी कर्मचारियों का पंजीकरण कराकर प्रक्षेत्र कार्यालय से पहचान पत्र प्राप्त करना होगा। बिना पहचान पत्र के लाइसेंसी के किसी कर्म का फार्म प्रक्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा। सफल द्वितीय पक्ष को भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप धनराशि जमा करनी होगी।
14. यह है कि सफल (निविदादाता) को सम्पूर्ण धनराशि तीन किश्तों में निम्नांकित विवरण के अनुसार जमा करनी होगी:-
- अ- प्रथम किश्त (कुल मूल्य का 50 प्रतिशत) स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि के 10 दिन के अन्दर जमा करनी होगी
- ब- द्वितीय किश्त (कुल मूल्य का 30 प्रतिशत) 31.10.2026 तक जमा करनी होगी।
- स- तीसरी किश्त (कुल मूल्य का 20 प्रतिशत) 31.03.2027 तक जमा करनी होगी।
- द- सफल निविदादाता द्वारा किश्त की धनराशि निर्धारित तिथि (समय अवधि) तक जमा नहीं करने की स्थिति में निर्धारित तिथि से अगले 06 माह तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से एवं उसके उपरान्त 02 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा। किश्तों की देय विलम्ब शुल्क आगामी किश्त की धनराशि के साथ जमा करना आवश्यक होगा।
- य-यह है कि सफल निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत प्रपत्र निर्गत होने की तिथि से निश्चित की गयी तिथि तक सम्पूर्ण धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि इस कार्यालय में जमा नहीं करायी जाती है तो विश्वविद्यालय फार्म को निविदा के साथ जमा की गयी धरोहर राशि को जब्त करने एवं निविदा स्वीकृत प्रपत्र निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- र-यह है कि यदि लाइसेंस शुल्कदाता उपरोक्त शर्तों के अनुरूप पैसा जमा नहीं कराता है तो सफल निविदादाता को उपरोक्त बागों से प्राप्त होने वाली फलत को तोड़ने एवं उसकी निकासी पर रोक लगाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय फार्म का होगा। यदि इस कार्यवाही से किसी प्रकार के फसल की क्षति होती है तो उसका उत्तरदायित्व सफल निविदादाता (द्वितीय पक्ष) का होगा।
- ल- यह है कि सफल निविदादाता उपरोक्त वर्णित शर्तों के अनुरूप निश्चित अवधि में लाइसेंस शुल्क की धनराशि जमा नहीं करता है तो विश्वविद्यालय फार्म द्वारा लाइसेंस शुल्क पर दी गयी बाग का लाइसेंस समाप्त करने हेतु विधिक नोटिस दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी एवं सम्बन्धित बाग पर तत्काल प्रभाव से जो है जैसा है की स्थिति के साथ विश्वविद्यालय फार्म द्वारा स्वतः ही सम्पन्न कराया जायेगा।
15. सफल निविदादाता द्वारा लाइसेंस की शर्तों के पालनार्थ द्वितीय पक्ष को स्वयं अपने व्यय पर नियंत्रक गो10ब0पन्त कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय पन्तनगर के साथ ₹ 100.00/के नॉन जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध कराना होगा।
16. यह है कि सफल निविदादाता को उक्त बागों की सिंचाई, सुरक्षा, चौकीदारी आदि सभी व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। भू-खण्ड में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग निर्धारित शुल्क पर किया जा सकेगा तथा उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त विश्वविद्यालय लाइसेंसी को कोई अन्य सुविधा प्रदान करने अथवा नयी सुविधा का सृजन करने के लिए बाध्य नहीं होगा। सफल निविदादाता द्वारा लाइसेंस पर दिए गए बाग आवंटित भूमि में अथवा आस-पास विश्वविद्यालय फार्म की अन्य भूमि में किसी भी प्रकार का व्यवसायिक कार्य यथा खोखा लगाना, जानवर पालना आदि कार्य नहीं किया जायेगा। ऐसा होने की दशा में 15 दिन का नोटिस देने के उपरान्त लाइसेंस निरस्त कर जमा सुरक्षा धनराशि एवं अन्य धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

.....
निविदा जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक: 2026

.....
हस्ताक्षर निविदादाता
दिनांक: 2026


17. यह है कि सफल निविदादाता द्वारा बागों में खड़े किसी भी वृक्ष का कटान नहीं किया जायेगा और न ही उनकी टहनियाँ इत्यादि की छटाई, कटाई की जायेगी तथा लाइसेंस द्वारा उक्त बागों में विश्वविद्यालय फार्म की अनुमति के बिना किसी प्रकार का कृषि रसायन/खाद का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा सफल निविदादाता द्वारा स्पष्ट रूप से लिखित रूप में अग्रिम में यह अवगत कराना होगा कि वह किस रसायन/खाद का प्रयोग करना चाहता है। फार्म प्रशासन द्वारा सुझाये गये रसायन/खाद एवं कीटनाशक, फफूँदीनाशक दवाईयों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
18. यह है सफल निविदादाता द्वारा प्रयोग में लायी गयी कृषि रसायन या उर्वरक से यदि कोई बाग का वृक्ष सूखता है अथवा उसके प्रयोग से उसकी पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ता है तो उसकी क्षतिपूर्ति जिसका आंकलन विश्वविद्यालय फार्म द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। उसका सम्पूर्ण हर्जा-खर्चा सफल निविदादाता से वसूल किया जायेगा।
19. यह है कि सफल निविदादाता अथवा उसका कोई भी कर्मचारी विश्वविद्यालय नियमों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। यदि लाइसेंस अथवा उसका कोई कर्मचारी किसी असामाजिक व गैरकानूनी कार्य में लिप्त पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में धरोहर राशि एवं अन्य जमा धनराशि जब करते हुए लाइसेंस को निरस्त कर आपके द्वारा उत्पादित फसल को जब्त कर लिया जायेगा।
20. यह है कि सफल निविदादाता को विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/श्रमिक को सेवायोजित करने का अधिकार नहीं होगा। अनाधिकृत नियोजन की स्थिति में विश्वविद्यालय को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति लाइसेंस को करनी होगी।
21. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी बाग अथवा उसके किसी भाग की विश्वविद्यालय फार्म को आवश्यकता होती है तो ऐसी दशा में एक माह का लिखित नोटिस देने के बाद अनुबन्ध को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निरस्त किया जा सकता है एवं तदनुसार बाग शुल्क की भुगतान की गयी राशि का समायोजन करते हुए शेष राशि, यदि कोई हो, तथा फलत के मूल्य (तकनीकी समिति के आंकलन के अनुसार) का भुगतान लाइसेंस को कर दिया जायेगा।
22. यह है कि सफल निविदादाता को लाइसेंस की अवधि में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित रास्तों का उपयोग बिना कोई क्षति पहुँचाये करना होगा। मशीनों आदि के लाने-ले जाने से रास्ते क्षतिग्रस्त होने की दशा में उनकी मरम्मत आदि का व्यय तकनीकी समिति के आंकलन के आधार पर लाइसेंस को करना होगा। सफल निविदादाता द्वारा फार्म के अन्दर अथवा बाउण्ड्री के बाहर नये रास्ते द्वारा कोई उत्पाद/अन्य सामग्री नहीं ले जाया जायेगा तथा जो रास्ते फार्म द्वारा निर्धारित है, उन्हीं रास्तों का प्रयोग करना होगा।
23. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी बाग/आस-पास यदि पहले से ही विश्वविद्यालय फार्म के श्रमिकों की झोपड़ियाँ हैं तो लाइसेंस को उन्हें हटाने का अधिकार नहीं होगा।
24. यह है कि सफल निविदादाता द्वारा किसी भी बाग का क्षेत्रफल नहीं बदला जायेगा एवं पक्की या कच्ची सड़के काटकर कृषि योग्य भूमि में नहीं बदली जायेगी।
25. यह है कि सफल निविदादाता को बाग की फलत को बेचने/परिसर से बाहर ले जाने से पूर्व फार्म प्रशासन से स्वीकृति लेनी होगी तथा संबंधित अधिकारी से गेट पास प्राप्त करना होगा।
26. यह है कि सफल निविदादाता द्वारा प्रक्षेत्र में किसी प्रकार का स्थाई निर्माण नहीं कराया जायेगा। श्रमिकों के लिए अस्थायी झोपड़ी लाइसेंस की भूमि पर बनाने हेतु विश्वविद्यालय फार्म प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद अस्थायी झोपड़ियाँ आदि को ध्वस्त करना होगा।
27. यह है कि सफल निविदादाता को दी गई सम्पत्ति जिस स्थिति में दी जायेगी उसे अनुबन्ध समाप्ति पर, प्रक्षेत्र प्रशासन को वापस करना होगा। किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी प्रतिपूर्ति लाइसेंस से की जायेगी।
28. यह है कि सफल निविदादाता को मार्च 2028 के पश्चात् फार्म द्वारा दिए गए बागों में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा इसके पूर्व ही उसे अपनी फलत, उपकरण इत्यादि फार्म से उठा लेने होंगे और यदि नहीं उठाये जाते हैं तो इन पर फार्म प्रशासन का अधिकार हो जायेगा।
29. यह है कि सफल निविदादाता द्वारा लाइसेंस पर दी गयी व अनुबन्ध में दर्शायी गयी भूमि अथवा फार्म की किसी भी भूमि अथवा उसे किसी भाग पर अपने स्वामित्व, कब्जा, आदि का दावा किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
30. यह है कि उपलब्धता के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लाइसेंस के अनुरोध पर विद्युत कनेक्शन हेतु निर्धारित सुरक्षा धनराशि जमा करनी होगी एवं विद्युत शुल्क के देयकों का भुगतान विद्युत विभाग में जमा करना होगा। लाइसेंस के आवेदन पर मुख्य महाप्रबन्धक फार्म की संस्तुति के अनुसार आवश्यक विद्युत सुरक्षा धनराशि जमा करने के बाद विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन दिया जा सकेगा। जमा विद्युत सुरक्षा धनराशि लाइसेंस अवधि समाप्ति पर विद्युत विभाग पंतनगर से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने पर ही वापसी की जायेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी प्रकार से विद्युत कनेक्शन देने हेतु बाध्य नहीं होगा।


निविदा जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक: 2026

हस्ताक्षर निविदादाता
दिनांक: 2026

31. यह है कि व्यापार कर स्टाम्प ड्यूटी अथवा अन्य किसी प्रकार का टैक्स जो नियमानुसार देय होगा तो वह सफल निविदादाता द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
32. यह है कि सफल निविदादाता एवं उसके अधीनस्थ कर्मियों द्वारा विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक के साथ किये गये अनुबन्ध की समस्त शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा। अनुबन्ध की अवधि में किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा बदलाव की दशा में सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार धरोहर राशि एवं अन्य जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा लाइसेंस निरस्त करते हुए बाग को विश्वविद्यालय फार्म द्वारा वापस ले लिया जायेगा।
33. यह है कि सफल निविदादाता द्वारा निविदा की वैधता समय के दौरान कोई शर्त भंग की जाती है अथवा बदलाव किया जाता है तो "जी एफ आर-2017 के नियम-170" के अनुसार निविदा के साथ जमा धरोहर धनराशि जब्त की जायेगी तथा किया गया अनुबन्ध निरस्त कर बाग वापस ले ली जायेगी।
34. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी बागों के संबंध में निष्पादित अनुबन्ध के आधार पर भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण एकल पंचाट के रूप में कुलपति, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर जिला उधमसिंहनगर अथवा उनके द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। एकल पंचाट का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बाध्य होगा।
35. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी बागों के संबंध में अनुबन्ध अथवा अन्य किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में सुनवाई का क्षेत्राधिकार, ऊधम सिंह नगर जनपद में निहित होगा।
36. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी बागों के सफल निविदादाता को दी जाने वाली भूमि में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा तैयार की गयी इन्चेन्ट्री की सूची यथा उपलब्ध पेड़, सिंचाई के साधन, पम्प, विद्युत पोल लाइनें एवं अन्य उपकरण आदि को लाइसेंस शुल्कदाता के सुपुर्द करना होगा जिसकी सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व लाइसेंस शुल्कदाता का होगा एवं ठेका अनुबन्ध की समाप्ति पर लाइसेंस शुल्कदाता को इन्चेन्ट्री की सूची के अनुरूप सभी पेड़ एवं उपकरण आदि वि०वि० फार्म को वापस करना होगा अन्यथा की स्थिति में होने वाली क्षतिपूर्ति लाइसेंस शुल्कदाता से वसूल की जायेगी।
37. उपरोक्त वर्णित शर्तों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

निविदादाता का नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर



हस्ताक्षर

पूरा नाम

पिता का नाम

ग्राम एवं पो०

तह० जनपद

पिन दूरभाष

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 37 तक) पढ़ ली गयी है तथा वह मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

Mh
23/3/24
मुख्य महाप्रबन्धक, (फार्म)
निविदा प्रपत्र निर्गत करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर